राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 490 / 2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 508

1. अनिष पुत्र महेन्द्र उम्र 23 वर्ष
2. सुनिता पत्नि चन्द्रपाल उम्र 48 वर्ष
3. अंशु पुत्री चन्द्रपाल उम्र 23 वर्ष
4. बलबीर सिंह पुत्र श्योनारायण उम्र 66 वर्ष
5. मनीष पुत्र महेन्द्र उम्र 28 वर्ष
6. रणवीर सिंह पुत्र श्योनारायण उम्र 52 वर्ष
7. सुरेन्द्र पुत्र मंगेजसिंह उम्र 42 वर्ष
8. सविता पत्नि महेन्द्र उम्र 50 वर्ष
9. हरबाई पत्नि मंगेजसिंह उम्र 74 वर्ष

} समस्त जाति जाट निवासी मैनाना तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

..........आवेदकगण

— बनाम —

1. करतार पुत्र राजवन्ती दत्तक पुत्र सुखदेवा उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी बराला की ढाणी तन मैनाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) **(फौत)**

1/1. वेदकोर पत्नि करतार जाति अहीर निवासी ढाणी बराला तन् मैनाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

1/2. मुकेश पुत्र करतार जाति अहीर निवासी ढाणी बराला तन् मैनाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

1/3. सुरेन्द्र पुत्र करतार जाति अहीर निवासी ढाणी बराला तन् मैनाना तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

2. जयलाल पुत्र राजवन्ती उम्र 68 वर्ष
3. जयसिंह पुत्र सोहनराम उम्र 47 वर्ष
4. ब्रहमा पुत्री सोहनराम उम्र 75 वर्ष
5. मीरसिंह पुत्र सोहनराम उम्र 73 वर्ष
6. अशोक पुत्र श्योराम उम्र 38 वर्ष
7. ओमपति पुत्री सदुराम उम्र 32वर्ष
8. ओमप्रकाश पुत्र सदुराम उम्र 64 वर्ष
9. चन्द्रभान पुत्र बला उम्र 54 वर्ष
10. अणचाई पत्नि जयसिंह
11. अनील पुत्र जयसिंह
12. धनपति पुत्री सदुराम
13. नन्दलाल पुत्र बला
14. फुली देवी पत्नि श्योराम
15. रघुवीर पुत्र श्योराम
16. लखमीचन्द पुत्र बहादुर

} समस्त जातिगण जाट निवासी मैनाना तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

17. सन्तोष पत्नि धर्मवीर
18. सन्तोष पुत्री सदुराम
19. सुनिल पुत्र सदुराम
20. सुरेन्द्र पुत्र धर्मवीर } समस्त जाति जाट निवासी मैनाना
21. सरमिला पुत्री सदुराम
22. सहीराम पुत्र बला
23. सिंगारी पत्नि सदुराम
24. नायब तहसीलदार उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
25. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
26. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
27. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 251(क) राज. कास्त.अधि.

उपस्थिति –
1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – आवेदकगण की ओर से ।
2. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1/2, 1/3, 3 , 15 अनावेदकगण के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 7/2/23

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं किः–

1. यह कि वाके ग्राम मैनाना तहसील बुहाना उप–तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 471 रकबा 1.33 हैक्टर के खातेदार आवेदकगण है आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज कास्त है फसल पैदावार करते है कूप बनाकर विधुत कनेक्शन ले रखा है इस प्रकार आवेदकगण भूमि ख.न. 471 के खातेदार है। खातेदार चान्दकोर की मृत्यु हो चुकी है उसके वारीसान पहले से जमाबन्दी मे दर्ज है तथा चन्द्रपाल की मृत्यु हो चुकी है आवेदक सं. 2 व 3 उसके वारीस है।
2. यह कि वाके ग्राम मैनाना स्थित भूमि ख.न. 471 के पूर्व मे ख.न. 472 रकबा 1.93 है. तथा उसके पूर्व मे भूमि ख.न. 473 रकबा 1.50 है. एवं उसके पूर्व मे भूमि ख.न. 475 रकबा 0.35 है. स्थित है भूमि ख.न. 472 अनावेदक सं. 6 लगायत 24 की है तथा ख.न. 473 अनावेदक सं. 1 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि है तथा ख.न. 475 अनावेदक सं. 1 के नाम दर्ज है इस प्रकार आवेदकगण की भूमि ख.न. 471 से आम रास्ता सड़क तक भूमि ख.न. 472 ख.न. 473 ख.न. 475 स्थित है ख.न. 475 से सटकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आम रा[illegible] जिसमे सड़क बनी हुई है।
3. यह कि आवेदकगण की [illegible] ख.न. 471 के लिये राजस्व रिकार्ड मे कोई कटानी रास्ता नहीं है आवेदकगण अपनी भूमि ख.न. 471 मे ख.न. 472 , ख.न. 473 , ख.न. 475 [illegible] सीमा के अन्दर से आवागमन करते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अर्थात भूमि ख.न. 471 के लिये आवेदकगण के लिये रास्ता की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है एवं आवेदकगण के लिये आम रास्ता से ख.न. 471 मे पहुँचने के लिये ख.न. 472 ख.न. 473 ख.न. 475 की दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे इसी भूमि मे से सबसे सुगम व सुविधाजनक रास्ता है क्योकि ख.न. 471 , ख.न 472 ख. न. 473 व 475 के दक्षिण मे दूसरे गांव की सीमा लगती है जबकि आवेदकगण की भूमि के लिये रास्ता ख.न 472 ख.न. 473 ख.न. 475 की दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे 13 फीट चौड़ा रास्ता ख.न. 472 , ख.न. 473, ख.न. 475 मे से ही दिये जाने योग्य है।

4. यह कि भूमि ख.न. 472 के खातेदार जयसिंह की मृत्यु हो चुकी है अनावेदक सं. 10 व 11 उसके वारीस है तथा खातेदार बादामा की भी मृत्यु हो चुकी है उसके वारीस पहले से जमाबन्दी से खातेदार है।
5. यह कि आवेदकगण धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी कानून के प्रावधानों की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है अर्थात डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशी का भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है।
6. यह कि आवेदकगण के लिये अपनी भूमि मे पहुँचने के लिये कोई दूसरा रास्ता नही है इसलिये आवेदकगण को रास्ता दिलवाया जाना कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक एवं न्यायोचित है।
7. यह कि आवेदकगण को अपनी भूमि मे फसल कास्त करने काटने एवं लाटने के लिये रास्ता की आवश्यकता है विधुत कूप पर एवं भूमि मे पहुँचने फसल की उपज को बाजार मे बेचने हेतु ले जाने व भूमि तक पहुँचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है जिससे आवेदकगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन नही किया जा सकता है।
8. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 471 होने व उसके लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने एवं ख.न. 472 ख.न. 473 ख.न. 475 मे से ही सबसे सरल व सुगम रास्ता दिये जाने योग्य होने से पैदा हुआ है।
9. यह कि आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि वाके ग्राम मैनाना मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
10. यह कि अनावेदक सं. 27 लगायत 29 से अनावेदक ने ऋण ले रखा है अनावेदक सं. 26 व 27 लैण्ड होल्डर होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
11. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।
12. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

(क) कि वाके ग्राम मैनाना उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित ख.न. 471 रकबा 1.33 है. के लिए ख.न. 472 , ख.न. 473, ख.न. 475 मे से दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे 13 फीट चौड़ाई मे अर्थात 13 फीट चौड़ाई मे रास्ता कायम कर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे व नक्शा मे रास्ता दर्ज कर उसका नक्शा कायम कर मौके पर भी रास्ता कायम किये जाने का आदेश करे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(ख) कि आवेदक का आवेदन पत्र विरूद्ध अनावेदकगण स्वीकार कर अन्य कोई अनुतोष जिसका आवेदक वाजिब हकदार हो आवेदक को दिलवाये जाने की कृपा करे।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई अप्रार्थी स.1/2, 1/3, 3, 15 की ओर से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आए शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थीगण ने जवाब इस प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि ग्राम मैनाना मे स्थित भूमि ख.न 471 के खातेदार आवेदकगण होना स्वीकार हैं शेष अस्वीकार हैं।
2. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 2 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं ख.न. 471 के खातेदार मूल रूप से ग्राम सांवलोद के रहने वाले हैं तथा उनका आगावमन भी ग्राम सांवलोद से ही हैं तथा आवेदक की भूमि ख.न. 471 के पूर्व मे आवेदक के परिजनो की भूमि ग्राम सांवलोद मे स्थित ख.न. 161, 162, 164, 165 स्थित हैं तथा ख.न. 165 मे से आम सड़क बनी हुई हैं जो सांवलोद से मैनाना को जाती हैं आवेदक कदीम से ही ख.न. 161, 162, 164, 165 की उतरी सीमा के सहारे – सहारे आवागमन करते हैं तथा आगे चलकर पूर्व मे स्थित सड़क से होते हुए अपने गांव सावलोद मे आते जाते हैं ख.न. 472, 473, 475 मे से कभी भी आवागमन नही किया हैं तथा ना ही वहां से कोई रास्ता हैं।
3. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 3 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं आवेदक अपने परिजवारजन की भूमि जो ग्राम सावलोद की सरहद मे स्थित हैं तथा ख.न. 471 के दक्षिण मे ग्राम सांवलोद की सरहद लगती हैं तथा ख.न. 471 के पूर्व मे सरहद के लगते हुए आवेदक के परिजनो की भूमि ख.न. 161, 162, 164, 165 स्थित हैं जहां से आवेदक पूर्व मे स्थित सड़क तक आवागमन करते हैं उसी मे से रास्ता कायम करवा सकते हैं वैसे भी ख.न. 472, 473, 475 की दक्षिणी सीमा व ख.न. 161, 162, 164, 165 की उतरी सीमा पर से दोनो तरफ से 2–2 मीटर रास्ता कायम किया जा सकता हैं उसी के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता हो सकता हैं तथा आवेदकगण की जितनी भूमि रास्ते मे आवेदक को मिलती हैं उसी के अनुसार आवेदक की भूमि ख.न. 471 मे से अनावेदकगण को भूमि दिलवाई जावे ताकि अनावेदक को भूमि की हानि नही हो सके तथा आवेदक की भूमि व अनावेदक की भूमि मियाल जोड़ भी हैं जिससे आवेदक व अनावेदक दोनो को कोई हानी भी नही होगी।
4. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 4 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं आवेदक ने कभी भी ख.न. 472, 473, 475 मे से आवागमन नही किया हैं तथा ना ही रास्ता मौके पर हैं आवेदक ग्राम सावलोद स्थित भूमि ख.न. 161, 162, 164, 165 की उतरी मेड पर से आवामन करते हैं तथा यह भी इनके परिवार के सदस्यो की हैं तथा आवेदक मूल रूप से ग्राम सांवलोद के निवासी हैं तथा ग्राम सांवलोद से ही उनका आवागमन हैं इसलिए ख.न. 161, 162, 164, 165 की उतरी मेड के सहारे – सहारे ही रास्ता दिया जाना सम्भ्व हैं लेकिन आवेदक ने ख.न. 161, 162, 164, 165 के खातेदारो को जानबूझकर पक्षकार नही ... ख.न. 161, 162, 164, 165 की भूमि रास्ते से बराबर – बराबर ... तथा समान्तर हैं इसलिए उनको पक्षकार बनाया जाकर दो... किया जाना उचित हैं तथा उनको पक्षकार बनाए बिना उक्त ... नही हैं तथा रास्ता के रूप मे अनावेदक की कम होती ... 471 की पूर्वी मेड के सहारे – सहारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

अनावेदकगण को दिलाया जाना आवश्यक हैं तथा इसी अनुसार गांव मे बैठकर राजीनामा भी हुआ था कि आधा रास्ता सांवलोद की तरफ तथा आधा रास्ता अनावेदक की भूमि मे से दिया जावे। तथा अनावेदक को रास्ते मे जाने वाली भूमि के बराबर ख.न. 471 के पूर्वी तरफ की भूमि उसके नाम दर्ज करवाये। लेकिन बाद मे आवेदकगण इन्कार कर दिया तथा सम्पूर्ण रास्ता अनावेदकगण की भूमि मे से लेना चाहते हैं जो चलने योग्य नही हैं तथा धारा 251(क) मे ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नही हैं कि एक राजस्व ग्राम मे से दूसरे राजस्व ग्राम के लिए रास्ता नही कायम किया जा सके। इसलिए ग्राम सांवलोद स्थित भूमि ख.न. 161 , 162, 164, 165 मे खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई किया जानी आवश्यक हैं इसके आभाव मे उक्त आवेदन पत्र चलने योग्य नही हैं।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 5 स्वीकार हैं।
6. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 6 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं जिस खातेदार की भूमि मे से आवेदक रास्ता कायम करवाना चाहता हैं उसके लिए बदले मे साथ लगती हुई भूमि भी दी जानी हैं तथा अनावेदक रास्ते के ऐवज मे जितनी भूमि रास्ते मे आयेगी उसी नाप के साथ लगती भूमि ख.न. 471 मे से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
7. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 7 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं आवेदक ग्राम सांवलोद स्थित भूमि ख.न. 161, 162, 164, 164 की उतरी सीमा मे से आवागमन करते हैं तथा उक्त भूमि आवेदक परिजन की हैं लेकिन जानबूण्कर उसको पक्षकार नही बनाया गया हैं जवाब के साथ नजरी नक्शा भी पेश किया जा रहा हैं जो जवाब का भाग रहेगा।
8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 8 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं ख.न. 161, 162, 164, 165 मे से रास्ता उपलब्ध हैं तथा नजदीक भी हैं आवेदक के परिजन को भी हैं तथा आवेदक मूल रूप से ग्राम सांवलोद के ही निवासी हैं।
9. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 9 अस्वीकार हैं ग्राम सांवलोद स्थित भूमि ख.न. 161, 162, 164, 165 की उतरी सीमा मे से नजदीक व सरल रास्ता उपलब्ध हैं।
10. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 10 बाबत क्षेत्राधिकार हैं जिसके उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
11. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 11 जानकारी के आभाव मे अस्वीकार हैं।
12. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 12 स्वीकार हैं।

अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चे खारीज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर आवेदक व अनावेदकगण को सुना गया मौका रिपोर्ट पर अनावेदकगण ने आपत्ति इस प्रकार प्रस्तुत की कि –

1. यह कि उपरोक्त उनवाही प्रकरण मे आज की पेशी नियत हैं।
2. यह कि मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.20[illegible] तैयार की गई हैं जबकि पत्रावली की आदेशिका मे मौका रिपोर्ट बाबत न्यायालय [illegible] कोई आदेश नही किया गया हैं तथा जिस समय मौका रिपोर्ट [illegible] लाई गई [illegible] उस समय अनावेदक का जवाब भी पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया [illegible] मौका रिपोर्ट मात्र आवेदक के प्रार्थना पत्र के अनुसार तैयार करके लाई गई हैं अनावेदक द्वारा अपने जवाब मे जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उज्र उठाए गये हैं उस बाबत मौका रिर्पोट नही आई इसलिए उक्त मौका रिर्पोट को खारीज किया जाकर पुनः आवेदक व अनावेदक द्वारा अपने जवाब उसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा दोनो की रिर्पोट मंगवाना आवश्यक हैं ताकि न्यायालय के समक्ष वास्तु स्थिति स्पष्ट हो सके।

3. यह कि आवेदक मूल रूप से ग्राम सावलोद मे रहने वाले हैं वही पर उनके रिहायशी मकान हैं उसी गांव मे उनका आना जाने का निकास हैं तथा पुराने मकान भी सांवलोद गांव मे ही हैं तथा आवेदक भूमि ख.न. 471 के पूर्व मे उतरी तरफ मैनाना व दक्षिण में सावलोद की सीमा लगती हैं आवेदक अपनी भूमि ख.न. 471 मे आवागमन के लिए ग्राम सांवलोद स्थित भूमि ख.न. 161, 162, 164, 165 की उतरी मेड के सहारे – सहारे आना जाना करते हैं तथा उक्त भूमि आवेदक के परिवार के सदस्यो की खातेदारी की भूमि हैं तथा अनावेदक ने अपने जवाब मे इस बाबत उज्र उठाया हैं इसलिए ख.न. 161, 162, 164, 165 गांव सावलोद की सीमा मे हैं उस तरफ से भी मौका रिर्पोट मंगवाई जाना आवश्यक हैं इसलिए मौका रिर्पोट आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब व उसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को शामिल करते हुए पुनः मंगवाया जाना आवश्यक हैं वर्तमान रिर्पोट एक तरफा हैं जबकि आवेदक स्वयं मूल रूप से सांवलोद का हैं तथा ख.न. 161, 162, 164, 165 की उरती सीमा पर से आना जाना करते हैं तथा उनका मूल गांव भी सावलोद हैं इसलिए वर्तमान मौका रिर्पोट पर अनावेदक आपत्ति करते हुए पुनः दोनो तरफ की मौका रिर्पोट मंगवाया जाना आवश्यक हैं।

4. यह कि पटवार भू निरिक्षक (गिरदावर) ने जानबूझकर मात्र आवेदकगण के आवेदन पत्र के अनुतोष के अनुसार मौका रिर्पोट तैयार करके लाया हैं जबकि उसको भली भांति ज्ञात हैं कि मौका पर आवेदक ख.न. 161, 162, 164, 165 जो सावलोद की सीमा है वहा से आवागमन करते हैं तथा इनकी ख.न. की दूरी मौका पर कम हैं क्योकि भू निरिक्षक ने अनावेदक को कोई सूचना मौका रिर्पोट बनाकर नही दी हैं तथा अनावेदक के गैर मौजूदगी मे एक तरफा मौका रिर्पोट बनाई गई हैं इसलिए उक्त मौका रिर्पोट निष्पक्ष नही होने से खारीज योग्य हैं। तथा पुनः आवेदन पत्र व तथा अनावेदक के जवाब के अनुसार मौका रिर्पोट मंगवाया जाना आवश्यक हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि मौका रिर्पोट दिनांक 2.06.2022 को निरस्त कर आवेदन पत्र व जवाब के अनुसार पुनः मौका रिर्पोट मंगवाये जाने कि कृपा करें।

मौका रिर्पोट पर आपत्ति बहस सुनी गई

आपत्तिकर्ता ने अपने जवाब मे दर्ज तथ्यो को अपनी आपत्ति मे उल्लेखित किया हैं इस सम्बध में विस्तृत मौका रिर्पोट प्राप्त हो चुकी हैं जिसके अनुसार आवेदक के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं तथा आपत्तिकर्ता द्वारा जो रास्ता दूसरे खेतो की सीमा से लिये जाने बाबत नक्शा पेश किया हैं उसके अनुसार आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक सुविधाजनक हैं अनावेदकगण द्वारा बताये गये रास्ते की अपेक्षा इसलिए आपत्तिकर्ताओ की आपत्ति अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। तथा आवेदकगण के पास उनकी खातेदारी की भूमि तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं इसलिए आवेदकगण अपने आवेदन पत्र मे चाहे गये अनुतोष अनुसार रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

— :: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र विरूद्ध अनावेदकगण स्वीकार कर वाके ग्राम मैनाना उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित ख.न. 471 रकबा 1.33 है. के लिए ख.न. 472 , ख.न. 473 , ख.न. 475 मे से दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे 13 फीट चौड़ाई मे अर्थात 4 मीटर चौड़ाई मे रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा प्रदर्श–"अ" कायम कर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं तथा तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि वह रास्ते मे आने वाली भूमि का डी.एल.सी. रेट की दोगूनी राशि का निर्धारण उक्त राशि जमा होने पर उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौका पर उसका सीमाकंन एवं मापन कर रास्ता सुचारू रूप से कायम करे एवं रास्ते मे आने वाली सभी बाधाओ को दूर कर मौके पर रास्ता कायम करे एवं यदि किसी पक्षकार द्वारा उक्त भूमि को रहन रखा गया हो तो रास्ते के काम आने वाला रकबा रहन मुक्त किया जावे एवं रिकॉर्ड मे गै.मू. रास्ता दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested